

ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, उत्तराखण्ड संस्कृत
विश्वविद्यालय, हरिद्वार।



राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या— 24077/जी0एस0(शिक्षा)/C5-8(4)/2018

देहरादून : दिनांक : 23 अगस्त, 2025

आदेश

प्रो० दिनेश चन्द्र शास्त्री, कुलपति—उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार का कुलपति पद का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 26 अगस्त, 2025 को पूर्ण हो रहा है। नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया गतिमान है तथा वर्तमान कुलपति के कार्यकाल की अवधि तक नये कुलपति के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने में समय लगने की सम्भावना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत नये कुलपति के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-12 की उपधारा-(10) के अन्तर्गत वर्तमान कुलपति प्रो० दिनेश चन्द्र शास्त्री को दिनांक 27 अगस्त, 2025 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षर—

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या 24077 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C5-8(4)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रो० दिनेश चन्द्र शास्त्री, कुलपति—उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
6. कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी सम—विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Raman

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव।